भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1973
दिनांक 31 जुलाई 2025

नए पेट्रोल पंपों का वितरण/आवंटन

†1973 **डॉ. नामदेव किरसान:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में नए पेट्रोल पंपों के वितरण/आवंटन हेतु वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने नए पेट्रोल पंप प्रस्तावित किए गए हैं और वितरित किए गए हैं;
(ख) नए पेट्रोल पंपों के वितरण/आवंटन हेतु पात्रता, स्थान, चयन और अन्य संगत कारकों सहित स्थापित मानदंड और दिशानिर्देश क्या हैं;
(ग) विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान बंद किए गए पेट्रोल पंपों की कुल संख्या कितनी है और उनके बंद होने के क्या कारण हैं, जैसे विनियमों का पालन न करना, वित्तीय व्यवहार्यता या अन्य कारक आदि;
(घ) क्या सरकार की बंद पेट्रोल पंपों की अवसंरचना को अन्य सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पुन:प्रयोजन निर्धारित करने या उपयोग करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा दूरदराज, ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में उनकी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेट्रोल पंपों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन/निरस्तीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

पीएसयू ओएमसीज द्वारा आरओ नेटवर्क (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल जैसे मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर पीएसयू ओमसीज द्वारा पहचाने गए स्थलों पर आरओज की स्थापना की जाती है। पर्याप्त संभाव्यता वाले स्थल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थलों पर आरओज स्थापित करने के लिए इसे विपणन योजना में नामांकित किया जाता है। आरओ डीलरशिप का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी ड्रॉ/बोली की ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करते हुए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से पीएसयू ओएमसीज द्वारा किया जाता है। देश में आरओ डीलरशिपों के आबंटन के लिए विस्तृत मानदंड/दिशानिर्देश www.petrolpumpdealerchayan.in/perol-2023 वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएसयू ओएमसीज के पास ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में 25,705 आरओज सहित कुल 88,526 आरओज का नेटवर्क है।

पीएसयू ओएमसीज ने ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों सहित समस्त भारत के आधार पर 49,964 आरओ के चयन के लिए जून, 2023/जुलाई, 2023 में विज्ञापन जारी किया हैं। इनमें से, 23,448 के संबंध में आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है और दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार 5,267 आरओ की स्थापना की गई है। पीएसयू ओएमसीज द्वारा जून,2023/जुलाई,2023 में दिए गए विज्ञापन के स्थल का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएसयू ओएमसीज ने सूचित किया है कि दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार 3,095 आरओ अस्थायी रूप से गैर-प्रचालनरत हैं जो विभिन्न कारको के कारण गैर-प्रचालनरत हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डीलर के वित्तब संबंधी मुद्दे, स्थगन, कम बिक्री, पारिवारिक विवाद आदि शामिल हैं।वर्तमान में,गैर-पब्लिक अथवा निजी उपयोग के लिए ऐसे अस्थायी गैर-प्रचालनरत आरओ के अवसंरचना के पुनर्प्रयोजन अथवा उपयोग की योजना नहीं है।

*****

अनुलग्नक

नये पेट्रोल पंपों का वितरण/आवंटन के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को माननीय सांसद डॉ. नामदेव किरसान द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1973 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।		
पीएसयू ओएमसी – वर्ष 2023 में नए खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने हेतु विज्ञापित स्थलों की राज्य-वार संख्या		
क्रम सं.	**राज्य / केंद्र शासित प्रदेश**	**कुल विज्ञापित स्थल**
1	अंडमान और निकोबार	17
2	आंध्र प्रदेश	2104
3	अरुणाचल प्रदेश	239
4	असम	941
5	बिहार	1552
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	1359
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	46
9	दिल्ली	138
10	गोवा	235
11	गुजरात	3174
12	हरियाणा	2729
13	हिमाचल प्रदेश	641
14	जम्मू और कश्मीर	643
15	झारखंड	1105
16	कर्नाटक	4112
17	केरल	1509
18	लद्दाख	34
19	लक्षद्वीप	5
20	मध्य प्रदेश	2342
21	महाराष्ट्र	5186
22	मणिपुर	0
23	मेघालय	225
24	मिजोरम	84
25	नगालैंड	115
26	ओडिशा	1453
27	पुदुचेरी	110
28	पंजाब	1625
29	राजस्थान	2787
30	सिक्किम	70
31	तमिलनाडु	4151
32	तेलंगाना	1975
33	त्रिपुरा	152
34	उत्तर प्रदेश	6609
35	उत्तराखंड	583
36	पश्चिम बंगाल	1908
कुल योग		**49964**

स्रोत - पीएसयू ओएमसीज